

# उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

**Registered/Corporate Office:**

12<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extension,

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :

12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

फैक्स नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या- 1886/का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22-04(20)/2000/वालयूम-।।

दिनांक 30.06.2022

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा विभागीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 40% कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित अवर अभियन्ता (वि0/याँ0) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई तथा स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थल	प्रोन्नति के उपरान्त पद	प्रोन्नति के उपरान्त तैनाती कार्यालय/स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्री धनीराम सैनी	अवर अभियन्ता (वि0/याँ0)	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर।	सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र
2	श्री प्रवीण कुमार	अवर अभियन्ता (वि0/याँ0)	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर।	सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	जल विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा, सहारनपुर
3	श्री अनिल कुमार सिंह	अवर अभियन्ता (वि0/याँ0)	निगम मुख्यालय, लखनऊ।	सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	जल विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा, सहारनपुर
4	श्री राम कुमार	अवर अभियन्ता (वि0/याँ0)	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा।	सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी, सोनभद्र
5	श्री शरद मिश्रा	अवर अभियन्ता (वि0/याँ0)	निगम मुख्यालय, लखनऊ।	सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0)	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर

- उपरोक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में निवेशित याचिका सं0-10021/2017, धनीराम सैनी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।
- उपरोक्त प्रोन्नत अभियन्ताओं को स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।
- उपर्युक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं को अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो तथा यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है, तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन सेवा-पुस्तिका में कर दिया गया है।
- उपर्युक्त अभियन्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अवर अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हुए उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि प्रोन्नत अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि तक वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन कर प्रस्तुत करे।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

प्रबन्ध निदेशक

*(Handwritten Signature)*

संख्या- 1886/का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22-04(20)/2000/वालयूम- II, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0)/(एम0पी0एस0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, पिपरी/खारा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(टेस्ट), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, पिपरी/ओबरा/खारा/मुजफ्फरनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, रिहन्द कालोनी सिविल अनुरक्षण खण्ड, पिपरी-सोनभद्र/जानपद निर्माण खण्ड, खारा-सहारनपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता (मु0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को निगम के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
12. सम्बन्धित कार्मिक।
13. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

30/06/2022

(मो0 अलीम)

उप सचिव (का0 एवं प्रशा0)